

100/2
7

3/13

स. नं. — 198

को. सं. — 3

सौ. सं. — 3

अनु. संख्या — 460

आयालय उच्च न्यायालय जयपुर जन्मद संत कबीर नगर

संत कबीर विद्यापीठ महाविद्यालय

मगहर

बनारस

इरनार

को. सं. 130 अन्तर्गत
143 जमींदारी विभाग
साक्षिण — काजीपुर तालुका
कस्बा दरगाहा मगहर
तहसील जयपुर जन्मद संत कबीर नगर



गणकाल आदेश दिनांक — 2-7-13

नोट — उक्त की कृपा पूर्व सलान है।

Handwritten signature or mark.

न्यायालय उपजिलाधिकारी खलीलावाद जनपद संत कबीर नगर।

वाद संख्या- 130 /2013
संत कबीर विद्यापीठ महाविद्यालय मगहर,
बनाम
सरकार उ०प्र०।

अन्तर्गत धारा-143 जमींदारी विनाश अ
साकिन-काजीपुर तप्पा कस्बा परगना मं
तहसील खलीलावाद जनपद संत कबीर

आदेश:-

राकेश मिश्र प्रबन्धक संत कबीर विद्यापीठ महाविद्यालय मगहर जनपद संत कबीर
द्वारा मेरे न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिनांक: 27.12.2012 को प्रस्तुत किया गया है जिसमें उल्लेख
गया है कि ग्राम काजीपुर के गाटा संख्या 419/0.320,422/0.191,424अ/0.056 व 424ब
का बैनामा संत कबीर विद्यापीठ महाविद्यालय मगहर जनपद संत कबीर नगर के नाम क्रय वि
उक्त आराजी में महाविद्यालय का भवन, खेल का मैदान व विद्यालय से संबंधित अन्य क
संचालन होता है। आराजी निजाई के सम्पूर्ण रकबे में शिक्षण संस्थान चल रहा है। आराजी
के रूप में प्रयोग हो रहा है। आराजी निजाई को आवादी श्रेणी 6(2) दर्ज किया जाय। तहसील
खलीलावाद से उक्त प्रार्थना पत्र के संबंध में नियम के अनुसार भेजी गई आख्या
ज०वि०अधिनियम के अनुसार एक से छः तक आख्या निम्न प्रकार है।

1-धारा 143 ज०वि०अधिनियम 135 के नियम प्रारूप पर रिपोर्ट संलग्न है। राजस्व ग्राम का
तप्पा कस्बा परगना मगहर पूरब तहसील खलीलावाद जनपद संत कबीर नगर।

ग्राम का नाम	भूमिधर का नाम	खतीनी खाता संख्या	खाते का क्षेत्रफल	मालगु जारी	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	विदिष्टि गैर कृषि प्रयोजन के लिए रक्बा या उराका कोई भाग	विशिष्ट
1	2	3	4	5	6	7	8	9
काजीपुर	संत कबीर विद्यापीठ महाविद्यालय मगहर संत कबीर नगर प्रबन्धक राकेश मिश्र पुत्र चन्द्रभान मिश्र साकिन पटखौली	398 348 138	0.320 0.191 0.214	11.55 06.20 08.90	419 422 424अ 424ब,	0.320 0.191 0.056 0.158	गाटा संख्या 419/0.320, 422/0.191, 424अ/0.056 424ब/0.158 हे० भूमि में विद्यालय का भवन, बाउण्ड्री बना हुआ है।	विद्यालय भवन, बा बना हुआ है

2-प्रबन्धक द्वारा स्वयं वाद योजित किया गया था। स्थित में नोटिस दिया गया आवश्यक न
है।

3-गाटा संख्या-419/0.320,422/0.191,424अ/0.056 व 424ब/0.158 के सम्बन्ध में तप्पा कस्बा परगना मगहर पूरब तहसील खलीलावाद आवेदक अपने अधिकार का भूमि का विज्ञापन है। पेड आदि

5- गाटा संख्या-419/0.320,422/0.191,424अ/0.056 व 424ब/0.158 हे 0 भूमि अकृषिक करने आवेदन किया गया है, जो मौके पर अकृषिक है।

6-प्रबन्धक द्वारा राजस्व न्यायालय के मैनुअल के पैरा 405 के निर्धारित दर से स्टेट खलीलावाद रूपया 503-00 शीर्ष मालगुजारी की गयी सेवाओ के लिए भुगतान की उगाही अन्तर्गत चालान संख्या के 020009ओ दिनांक: 02.07.2013 द्वारा जमा कर दिया गया। इस प्र ग्राम काजीपुर तप्पा कस्बा परगना मगहर पूरब तहसील खलीलावाद जनपद संत कबीर नगर गाटा संख्या-419/0.320,422/0.191,424अ/0.056 व 424ब/0.158 हे 0 मालगुजारी 26.65 रु0 के आ पर उक्त विद्यालय के नाम अंकित संकमणीय भूमिधर की भूमि कृषि से अलग कार्यों में प्रयुक्त जाने के कारण ज0वि0 अधिनियम की धारा 143 के तहत अकृषिक भूमि घोषित किये जाने रिपोर्ट संस्तुति सहित प्रेषित, अतः उक्त भूखण्ड पूर्णतः अकृषिक है।

आवेदक की आख्या में उल्लिखित रकबा 0.725 हे 0 अकृषिक है तथा जमीदारी विन अधिनियम में वर्णित नियम 135 के पैरा 6 हबन्दी का खर्चा संबंधित भूमिधर द्वारा मालगुजारी बक के रूप में धनराशि रूपया 503 -00 जमा कोष किया गया है जिसमें नियमानुसार ज0वि0 अधिनि की धारा 143 के तहत अकृषिक भूमि प्रख्याति किया जा सकता है।

मेरे द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहसीलदार खलीलावाद की जाँच आख्या विधि संगत तरीके से धारा 143 ज0वि0 अधिनियम के अन्तर्गत उक्त भूमि को अकृषिक भूमि घो किये जाने में कोई विधिक अड़चन नहीं व्यक्त की गई है। धारा 143 ज0वि0 अधिनियम 135 नियमावली प्रारूप संलग्न है। गाटा संख्या-419/0.320,422/0.191,424अ/0.056 व 424ब/0.158 हे विद्यालय भवन बना है तथा कोई कृषि कार्य नहीं हो रहा है। यह भूमि ग्राम काजीपुर में स्थित जो अकृषिक किये जाने हेतु उपयुक्त है।

अतः ग्राम काजीपुर तप्पा कस्बा परगना मगहर पूरब तहसील खलीलावाद के खतौनी फर 1415-1420 के खाता संख्या-398 के गाटा संख्या-419/0.320 मालगुजारी 11.55 खाता सं 348 के गाटा संख्या-422/0.191 हे 0 मालगुजारी 6.20 तथा खाता संख्या-138 के ग संख्या-424अ/0.056 व 424ब/0.158 हे 0 मालगुजारी 8.90 पैसे को धारा 143 ज0वि0 अधिनियम अन्तर्गत अकृषिक घोषित किया जाता है। बांद अमलदरामद पत्रावली संचित अभिलेखागार हों।

2.7.13
(विनय प्रकाश श्रीवास्तव)
उपजिलाधिकारी, खलीलावाद।

प्रतिलिपि:- उपनिबन्धक खलीलावाद को इस आशय से प्रेषित कि वह धारा 143 में घोषणा की निःशुल्क नियत रीति से रजिस्ट्री करें।

21/7/13
21/7/13